प्रतिष्ठा में,

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति,
जजशिप, मुजफ्फरनगर,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

विषयः— **वार्षिक गोपनीय प्रविष्टी वर्ष 2023–24 में जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टी को विलोपित करने एवं उचित मूल्यांकन हेतु प्रत्यावेदन।**

मान्यवर,

कृपया उपरोक्त का सन्दर्भ ग्रहण करें जिस सन्दर्भ में विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता की वार्षिक प्रविष्टि 2023–24 में कुछ प्रतिकूल टिपिणयां की गयी है जिसे वार्षिक प्रविष्टि से विलोमित किये जाने हेतु निम्न आधार पर प्रत्यावेदन प्रेषित किया जा रहा है

01:— प्रत्यावेदन के साथ मूल आदेश संलग्न रहा है।

02:— प्रत्यावेदन निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत है।

03:— प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 01(a) में उल्लिखित बिन्दु व टिप्पणी निम्न प्रकार है— 01(a) Intigrity of the officer whether beyond doubt doubtfull or positively facking- **Doubtfull**

Note- If the officer's intergrity is doubtful or positively lacking] it may be show stated with all relevent facts, reasoni(s) & supporting material

उपरोक्त में प्रत्यावेदनकर्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध बतायी गयी है परन्तु इसके समर्थन में कोई उपयुक्त तथ्य, कारण या समर्थन करने वाला तथ्य/ साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है जबकि ऐसी परिस्थिति में उक्त तथ्यों का होना आवश्यक है। जैसा कि इस पैरा के नोट में उल्लिखित है। इस प्रकार प्रत्यावेदनकतां की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में की गयी टिप्पणी अवैधानिक, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत, अप्रमाणित एवं आज्ञापक प्रावधानों का उल्लघन करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में की गयी है जो नियमतः उसकी वार्षिक प्रविष्टी से विलुप्त किये जाने योग्य है।

04:— सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र लोक सेवक की मूल्यवान सेवानिधि होती है। इस सन्दर्भ में बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रत्यावेदनकर्ता की लगभग 06 वर्ष की सेवा पूर्ण होने वाली है। वह वर्ष 2018 में न्यायिक अधिकारी नियुक्त हुआ है और उसने अनवरत रूप से अपनी सेवा पूर्ण निष्ठा, लगन व ईमानदारी से की है और अपने कर्तव्यों का पालन किया है जिसके कारण अब तक के सेवाकाल में उसकी चरित्र पंजिका एकदम स्वच्छ व बेदाग है उसकी नई–नई सेवा एवं उसके उज्जवल भविष्य को ध्यान में नहीं रखा गया है। न्यायिक दृष्टिकोण से उसकी सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में की गयी टिप्पणी विलुप्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में यह आवश्यक है जब तक भ्रष्टाचार से सम्बन्धित एक के बाद अनेको घटनाओं के सम्बन्ध में लगातार साक्ष्य उपलब्ध न हो तब तक सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा सम्बन्धित को उसके आचरण में सुधार हेतु अवसर भी दिया जाना चाहिए फिर भी यदि उसके आचरण में सुधार न हो तभी सत्यनिष्ठा संदिग्ध की जानी चाहिए परन्तु प्रत्यावेदनकर्ता के प्रकरण में ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है। यदि प्रत्यावेदनकर्ता के प्रति इस सन्दर्भ में कोई शिकायत थी तो उसे अवगत कराया जाना चाहिए था एवं उसके सन्दर्भ में प्रत्यावेदनकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था। इस प्रकिया का पालन प्रत्यावेदनकर्ता के संदर्भ में नहीं किया गया।

05:— सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि क्या सम्बन्धित का रहन सहन Living beyond means है जैसा कि U-P- Disciplinary proceedings inquiry committee 1952 में दर्शाया गयाहै जबकि प्रत्यावेदन का रहन सहन उसकी आय के अनुरूप है।

06:— प्रत्यावेदनकर्ता की कोई Evil reputation for honesty उसके कार्यक्षेत्र में कभी नहीं रही है। इस सन्दर्भ में कोई साक्ष्य भी प्रत्यावेदनकर्ता के विरुद्ध प्रकाश में नहीं आया जबकि सत्यनिष्ठा के मामलों में इस तथ्य के सन्दर्भ में भी साक्ष्य का होना आवश्यक है।

07:— प्रत्यावेदनकर्ता को प्रदत्त प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि के पैरा–4 में उल्लेख किया गया है कि–"Office bearers of Bar association] Budhana complained many times about the character, integrity & Malfuncitioning of the officer. After the oral complaints recived of office bearer Bar association Budhana, I have perused the judicial record decided by Sri Vishnu Shankar Pandey, the then civil judge (JD) Budhana. In this regards a detailed report was sent to the hon'ble highcourt vide this office letter no& 800/XY-14/2022 dated 22-03-2024. Apart from this- office bearers of the District Bar Association. Muzaffarnagar have also complined before me many times about charecter, integrity & Malfuncitioning of the officer.

उपरोक्त टिप्पणी के सन्दर्भ में प्रत्यावेदनकर्ता का कथन है कि बार एसोशिएसन बुढ़ाना व जिला बार एसोशिएसन मुजफ्फरनगर के पदाधिकारीगण की मौखिक शिकायत पर बगैर उसे अवगत कराये और बगैर प्रत्यावेदनकर्ता से उक्त सन्दर्भ में स्पष्टीकरण मांगे प्रत्यावेदनकर्ता को सुनवाई के अवसर से वंचित करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत उक्त सन्दर्भ में पत्र सं० 800/XY–14/2022 दिनांकित 22.03.2024 द्वारा रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित कर दी गयी जबकि प्रत्यावेदनकर्ता को उक्त सन्दर्भ में सुनवाई/बचाव का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। प्रत्यावेदनकर्ता ने विद्वान जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर से उनके द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उसके विषय में प्रेषित आख्या पत्र सं० 800/XY– 14/2022 दिनांकित 22.03.2024 की जानकारी होने पर उसकी प्रति की मांग दिनांक 03.06.2024 को की जो उसे दिनांक 13.06.2024 को प्रदान की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न कर रहा है जो **संलग्नक–1** है।

उपरोक्त आख्या में उल्लिखित समस्त मुकदमे 156(3) दं0प्र0सं0 से संबंधित है। जिसमें प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा आवेदन करने के दूसरे दिन आदेश पारित करने और दो प्रकरण धारा 304बी भा0दं0सं0 व एक प्रकरण धारा 307 भा0द0सं0 से संबंधित होने व एक प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने से संबंधित है।

यदि 156 (3) द०प्र०सं० से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र का निस्तारण शीघ्र दो दिन में कर दिया जाता है तो इसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है और न ही शीघ्र निस्तारण से सत्य निष्ठा ही संदिग्ध हो जाती है, बल्कि मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु मा० उच्च न्यायालय द्वारा बराबर निर्देशित भी किया गया है। साथ ही साथ इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत भी नहीं की गयी है। जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने पत्र दिनांकित 22.03.2024 में मेरे द्वारा निस्तारित प्रकीर्ण वाद

'अनिल बनाम पवन' एवं 'इश्तयाक बनाम शाहनवाज' का भी उल्लेख करते हुए कथन किया गया है कि श्रवण के क्षेत्राधिकार के बिना मेरे द्वारा धारा 307 एवं धारा 304बी भा0दं0सं0 में वाद श्रवण किया गया। जहाँ तक धारा 304बी भा०द०वि० व 307 भा०द०वि० से सम्बन्धित प्रकरणा में अभियोग पंजीकृत करने के आदेश से सम्बन्धित है। 156 (3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत आवेदन यदि घटना संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित है अभियोग पंजीकृत करने का आदेश करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। ऐसे प्रकरणों में क्षेत्राधिकार का प्रश्न तो अभियोग के विचारण के समय विचार में लिया जाता है और प्रत्यावेदन कर्ता द्वारा मात्र अभियोग के पंजीकरण करने का आदेश किया गया है जो त्रुटिपूर्ण नहीं है। चूंकि सम्बन्धित अपराध संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित थी जो प्रत्यावेदनकर्ता के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने M/s Supreme Bhiwandi Wdda Manor infrastructure Pvt. Ltd. Vs. The State of Maharashtra & Anr. LL 2021 SC 330 के पैराग्राफ 10 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि :— The Position is thus clear. Any Judicial magistrate before taking Congnizance of the offence can order investigation under section 156(3) of the Cr.P.C. If does so, he was not taking cognizance of any offence.

उपरोक्त सिद्धांत Dilawar Singh Vs. State of Delhi (2007) 12, S.C.C. 641, Anuj Chaudhary Vs. State of U.P. (2013) 6 S.C.C 572 में भी दोहराया गया है। एक प्रकरण आरोप पत्र प्रस्तुत करने का आदेश हो गया है जो लिपिकीय त्रुटिवश हो गया है, जानबूझकर ऐसा आदेश नहीं किया गया है।

यदि किसी आदेश में कोई विधिक त्रुटि हो, तो उससे न्यायिक अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं K.K. Dhawan Case (1993) 2 SCC 56, A.N. Saxena Case (1992) 3 SCC 124, P.C. Joshi vs. State of U.P. (2001) 6 SCC 49 L में कहा है कि Merely becuase the order is wrong or the action taken could have been different does not warrant intiation of disciplinary proceeding against Judicial officcer.

इसी सिद्धांत को Ramesh Chandra Singh Vs. High Court of Allahabad and another 2007 (U) SCC 247 में स्वीकार किया गया एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "To dunk an office in to the puddle of "dubtful Intergrity" It is not enough that doubt brings on a mere hunch. That doubt should be of such nature as would reasonably and consciously be entertainable by a reasonbale man on the given material mere possibility is hardly sufficient to assumethat it would have happened."

08:— न्यायिक अधिकारियों के विरूद्ध आयी शिकायतों के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सर्कुलर पत्र संख्याः CL No- **500/conf- dated 04/04 Allahabad 2017** जो courts circular letter no 1416/conf- dated Allahabad on captioned subject के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पत्र दिनांकित 16.03.2017 के क्रम में निम्न दिशा निर्देश दिया गया है कृपया अवलोकन करें।
(A) The complaint making allegations against members of the subordinate judiciary in the states should not be intertained and no action should be taken thereon] unlessit is accompanied by a duly sworn affidavit and@or verifiable material to substantiate the allegations made therein-
(B) If action on such complained meeting the above requirement is deemed necessary, authenticity of the compliant should be duly ascertained and further

steps thereon should be taken only after satisfaction of the competent authority designated by the chief justice of the High court-

(C) If the above requirements are not emplined with] the complaint should be filed lodged without taking any steps thereon.

उपरोक्त पत्र मा० उच्च न्यायालय के समस्त अधीनस्थ जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/OSD को भी प्रेषित है जिसकी प्रति मान्यवर के अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है जो **संलग्नक–3** है। इस सर्कुलर पत्र के प्रकाश में बार एसोशिएसन बुधाना व जिला बार एसोशिएशन मुजफ्फरनगर के मौखिक शिकायत पर नियमतः संज्ञान ही नहीं लिया जा सकता है ऐसी दशा में उपरोक्त टिप्पणी प्रत्यावेदनकर्ता की प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि से विलुप्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। मेरे विरुद्ध किसी व्यक्ति ने लिखित शिकायत नहीं की। अतः जनपद न्यायाधीश की "Doubt Integrity" प्रविष्टी अप्रमाणित, आज्ञापक प्रावधान का उल्लेख एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में किये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है।

09:– वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 1(b) 1(c) उस पर दी गयी टिप्पणी निम्न प्रकार है– 1(d) में उल्लिखित बिन्दु व उस पर दी गयी टिप्पणी निम्न प्रकार है–

01(b) If she/he is fair and imparicial in dealing with the public and bar?- **No**

01(c) If she/he is cool minded and does not lose temper in court- **No**

01(d) Her/his private charecter is such as to tower her/him in the estimation of the public and adversely affect the discharge of her/his official duties- **Yes**

उपरोक्त तीनों टिप्पणिया अनुमान/परिकल्पना पर आधारित है इस सन्दर्भ में कोई साक्ष्य नहीं है।

A. इस संबधं में मुझे यह नहीं बताया गया कि किन आधारों पर मेरे व्यवहार को विभेदात्मक पाया गया।

B. इस संबधं में मुझसे कभी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया और न ही कोई D.O. या Notice दिया गया।

अतः टिप्पणिया वेग (Vague) है नियमतः (Vague) वेग टिप्पणियों का कोई महत्व नहीं होता है। टिप्पणिया सारगर्भित व प्रामाणिक व फेयर होनी आवश्यक है। अतः उपरोक्त टिप्पणिया नियमतः प्रत्यावेदनकर्ता को प्रदत्त वार्षिक प्रविष्टि से विलुप्त किये जाने योग्य है।

10:– वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 01(1) में उल्लिखित बिन्दु व उससे सम्बन्धित पैरा 1(f) (i), 01(f) (ii), 1(t) (iii), 1 (f) (iv)में वर्णित बिन्दु व उससे सम्बन्धित टिप्पणी निम्न प्रकार हैः–

01(f) Wether judgement on facts and on law are on the whole sound, well reaasoned and expressed in good languages?- **No**

01(f)(i)	Marshaling of facts-	**Not good**
01(f)(ii)	Appreciation of evidences-	**Not good**
01(f) (iii)	Application Of Law	**Not Proper**
01(f) (iv)	Judgement/order writing capability-	**C Below Average**
	(please comment of the quality of the passing Writing judgement/Order) be pleased. viz A- Outstanding. A-Very good B- Good, B-Averagage/satisfactiory c- Below average	

उल्लिखित प्रविष्टि अकित करने में विद्वान जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। इन टिप्पणियों के सन्दर्भ में कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है और वह स्वंय विरोधाभाषी टिप्पणी है क्योंकि प्रत्यावेदन कर्ता द्वारा पुराने व अन्य मुकदमों का निर्णय निर्धारित लक्ष्य से अधिक किया है और अन्तरिम आदेश, स्थगन आदेश करने या इन्कार करने के सम्बन्ध में पर्याप्त कारण का उल्लेख किया जाना स्वयं जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा पारित निर्णयों के सम्बन्ध में विद्वान जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर द्वारा उसके सन्दर्भ में प्रमाण स्वरूप किसी भी मुकदमें का उल्लेख नही किया गया है जिसमें भाषा उचित न हो या साक्ष्यों का मूल्यांकन उचित प्रकार से न किया गया हो। अतः विरोधाभाषी साक्ष्य विहीन टिप्पणी की गयी है। इस प्रकार प्रत्यावेदनकर्ता के सम्बन्ध में पारित निर्णय के सन्दर्भ में की गयी टिप्पणी विधिक रूप से उसकी वार्षिक प्रविष्टि से विलुप्त किये जाने योग्य है।

11:— वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 01 (h) control over the office and administrative capacity and tact- **Not good** के सम्बन्ध में की गयी टिप्पणी विरोधाभाषी है और अन्य की गयी टिप्पणियों से सामंजस्य नहीं रखती है क्योंकि प्रत्यावेदनकर्ता का न्यायालय पर डायस पर नियमित न्यायालय के समय तक बैठना, एवं कार्यालय का नियमित त्रैमासिक निरीक्षण करना स्वीकार किया गया है और आफिस पर नियंत्रण व प्रशासनिक क्षमता के सन्दर्भ में Not good की टिप्पणी कतई उचित एवं न्याय संगत नहीं है और उक्त टिप्पणी उसकी वार्षिक प्रविष्टि से विलुप्त होने योग्य है। स्वयं जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के निर्देश के क्रम में अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 07, मुजफ्फरनगर द्वारा माह फरवरी–2024 में मेरे कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। जिसमें Control over Office को "Good" बताया गया। ऐसे में यह प्रतिकूल प्रविष्टी विलुप्त होने योग्य है।

12:— पैरा 01 (1) में उल्लिखित विन्दु relations with members of the Bar (mentioned incidnent if any)- unbalanced and discrimiatory में विद्वान जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर द्वारा की गयी टिप्पणी unbalanced and discrimiatory बतायी गयी है जबकि इस टिप्पणी के समर्थन में किसी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। जब प्रत्यावेदक द्वारा किसी अधिवक्ता के साथ अंसुलित एवं विभेदकारी व्यवहार किया गया हो। टिप्पणी के सन्दर्भ में अधिकारी की सोच आब्जेक्टिव व ओपेन माइन्डेड होनी चाहिए और टिप्पणी निष्पक्ष होनी चाहिए, परन्तु प्रत्यावेदनकर्ता के प्रकरण में इसका पूर्णतया अभाव है। अतः प्रमाणिकता के अभाव में उक्त टिप्पणी प्रत्यावेदनकर्ता की वार्षिक प्रविष्टी से विलुप्त होने योग्य है।

13:— पैरा 01 (L) में Her/His punctuality and regularity in setting on the dais in court during court house?- not punctual की टिपण्णी की गयी है जो स्वतः विरोधाभाषी है। विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 06.03.2024 को अपरान्ह 02:10 बजे जनपद में स्थित न्यायालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आकस्मिक निरीक्षण के पश्चात् औचक निरीक्षण कर टिप्पणी प्रकाशित की गयी जिसमें निरीक्षण के समय ऐसे पीठासीन अधिकारीगण जो निर्धारित वेशभूषा में न्यायालय कक्ष में डायर पर बैठकर कार्य सम्पादित करते हुए पाये गये और ऐसे पीठासीन अधिकारीगण जो आकस्मिक निरीक्षण के समय न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं पाये गये उनके नामों का उल्लेख किया गया है। जिसमें आकस्मिक निरीक्षण के समय निर्धारित वेशभूषा में

न्यायालय कक्ष में डायस पर बैठकर न्यायिक कार्य सम्पादित करते पाये गये पीठासीन अधिकारियों की लिस्ट में क0सं0 19 पर प्रत्यावेदनकर्ता का नाम अंकित है। प्रत्यावेदनकर्ता उक्त औचक निरीक्षण पर की गयी टिप्पणी से संबंधित पत्र की प्रति मान्यवर के अवलोकनार्थ प्रत्यावेदन के साथ संलग्न कर रहा है जो **संलग्नक–4** है। इस प्रकार वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 01(L) में उल्लिखित बिन्दु पर की गयी टिप्पणी एक विरोधाभाषी टिप्पणी है। उपरोक्त के अलावा यदि प्रत्यावेदनकर्ता न्यायालय कक्ष में डायस पर बैठकर नियमित न्यायिक कार्य सम्पादित न करता तो उस दिन भी वह न्यायालय कक्ष में अनुपस्थित पाया जाता और निर्धारित लक्ष्य तक विभिन्न प्रकार के मुकदमों को निस्तारित/निर्णय करने में उसे सफलता न मिलती। अधोहस्ताक्षरी की "Daily Sitting" जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रतिदिन "seen" (देखी) की जाती है। जनपद न्यायाधीश ने कभी भी कोई D.O. या Notice नहीं दिया, जिसमें मेरे Dias पर समय से न बैठने की बाबत जवाब मांगा गया हो। इस प्रकार प्रस्तुत टिप्पणी असत्य एवं विरोधाभासी है और प्रत्यावेदनकर्ता की वार्षिक प्रविष्टि से विलुप्त किये जाने योग्य है।

14:– प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 01(m) में उल्लिखित बिन्दु Weather amenable to the advise of the district judge and other superior officers पर विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा यह टिप्पणी की गयी है कि– Officers is not amenable to the advice of the district judge, a mumber of times officer has been advised by me to reform his activties but he always admently defined the advice given to me एकदम असत्य और अप्रमाणित टिप्पणी है। विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा कभी किसी बात के लिये कोई सलाह प्रत्यावेदनकर्ता को नहीं दी गयी और न ही अपने किया कला प में कोई सुधार लाने हेतु ही कभी कहा गया यदि ऐसा होता तो वह उसका गम्भीरता से पालन अवश्य करता। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा कभी कोई D.O. या नोटिस प्रदत्त नहीं किया गया। विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रतयावेदनकर्ता के विरूद्ध एक साक्ष्य विहीन वेग (Vague) टिप्पणी कर दी गयी, प्रत्यावेदनकर्ता की वार्षिक टिप्पणी से विलुप्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है।

15:– प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि के पैरा 2 में उल्लिखित बिन्दु over all assessment of the merit of the officer (outstanding, very good, Good, Average Poor) पर विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा की गयी टिप्पणी में Poor श्रेणी प्रदान की गयी है जबकि उसका व्यवहार महिलाओ के प्रति न्यायिक अधिकारियो के प्रति, निरन्तर न्यायालय में डायस पर बैठकर न्यायिक कार्य करने में प्रवृत्ति, विभिन्न आफिसो पर बखूबी नियंत्रण व उनका निरीक्षण तथा निर्धारित लक्ष्य से अधिक विभिन्न प्रकार के मुकदमें का निस्तारण/निर्णय आदि करने के बावजूद उसे किस आधार पर समस्त कार्यो का मूल्यांकन किया गया और Poor श्रेणी प्रदान की गयी। इस संबंध में प्रत्यावेदक को निम्नाकिंत निवेदन करना है:–

A. मेरे द्वारा कुल 1509 यूनिट का कोटा प्राप्त किया गया। जो निर्धारित मानक 1200 यूनिट से अधिक है तथा 589 यूनिट वास्तविक निस्तारण से प्राप्त की गयी। जो निर्धारित मानक 500 यूनिट से अधिक है एवं 290 प्रतिशत कार्य सम्पादित किया गया।

B. मेरे द्वारा एक्शन प्लान के रूप में निष्पादित वादों में से 23 वाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समय तथा 04 वाद सिविल जज (जू0डि0), बुढ़ाना के समय तय किये गये। जो निर्धारित मानक 25 वादों से अधिक है।

C. मेरे द्वारा पुराने वादों का भी निस्तारण किया गया है। जो इस प्रकार हैं:–

- 30 वर्ष से प्राचीन– 07 वाद।
- 20 वर्ष से प्राचीन– 42 वाद।
- 10 वर्ष से प्राचीन– 23 वाद।
- 05 वर्ष से प्राचीन– 21 वाद।
- 1168 वादों का निस्तारण लोक अदालत में किया गया।

जनपद न्यायाधीश द्वारा मेरे उपरोक्त कार्यों की उपेक्षा की गयी एवं निर्धारित मानक से अधिक 290 प्रतिशत कार्य करने के बावजूद "Poor" प्रविष्टी दर्ज की गयी। अतः माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय से अनुरोध है कि उक्त प्रविष्टी को निरस्त करके इसे Very Good अथवा Outstanding प्रविष्टी दर्ज की जाए। इस आधार पर यह टिप्पणी प्रत्यावेदनकर्ता की वार्षिक प्रविष्टि से विलुप्त किये जाने योग्य है। क्योकि ऐसी टिप्पणी निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती है जबकि टिप्पणी का फेयर होना आवश्यक है।

16:– प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि में विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा विभिन्न प्रकार की विपरीत टिप्पणीयॉ प्रत्यावेदनकर्ता के संबंध में की गयी है जैसा कि उपर उल्लेख किया जा चुका है उक्त संदर्भ में विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर को जो भी शिकायते या घटना क्रम आलोच्य वर्ष में प्रत्यावेदनकर्ता से सम्बन्धित प्रकाश में आती है इस संदर्भ में प्रत्यावेदकर्ता को कम से कम एक या दो वार्निंग अवश्य दी जानी चाहिये थी फिर भी यदि प्रत्यावेदनकर्ता में कोई सुधार न होता तभी उस संदर्भ में उसके विपरीत टिप्पणी की जा सकती थी अन्यथा नहीं। कृपया इस संदर्भ में A.S. Mishra's Law and Practice of character and integrity rolls secound edition 1979 revised by I.S. Mathur H.J.S. By. secretory and Dy. Legal remembreacer to the U.P. Govt. के पेज नं0–46 पर इस बिन्दु पर उल्लिखित निम्न पंक्तियो को अवलोकन करे– "The head of department or the principal Head of office is expected to improve the working of the personnel subordinate in him and with this end in view he should invariably issue one or two warnings whenever a defect comes to his notice in the course of the years."

प्रत्यावेदनकर्ता को प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि में विभिन्न प्रतिकूल टिप्पणीयॉ की गयी है परन्तु उक्त के संदर्भ में कभी भी किसी भी घटना क्रम के बारे में विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा कभी भी वार्निंग दी ही नही गयी और न ही इसका प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि में कोई उल्लेख ही है। अतः प्रत्यावेदनकर्ता को प्रदान की गयी प्रतिकूल टिप्पणीयॉ/प्रविष्टियॉ उसकी प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि से विलुप्त होने योग्य है।

17:– जैसा कि स्पष्ट है कि प्रत्यावेदनकर्ता को प्रदान की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियॉ आज्ञापक प्राविधानो के विपरीत दी गयी है अतः expunged किये जाने योग्य है। कृपया उपरोक्त संदर्भ में उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ–77 पर वर्णित निम्न पंक्तियों का अवलोकन करे–

Violation of mandatory directions

"If the mandatory directios regarding recording adverse entires, contained in any rules on the subject, the adverse entry will be liable to be expunged. Such entries may also be liable to be expunged if they are recorded in violation of administrative directions."

18:— जैसा कि उपर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रत्योवदनकर्ता को वार्षिक प्रविष्टि 2023–24 में प्रदान की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियॉ किसी घटनाकम या साक्ष्य से समर्थित नहीं है। वेग (Vague) टिप्पणी के अन्तर्गत आती है जैसा कि एम0एस0 शर्मा प्रति स्टेट ऑफ ए0पी0 1982 लैब आई0सी0 में ऐसी टिप्पणियो को वेग (Vague) टिप्पणी माना है (पेज–204 मैनुवल ऑफ गर्वनमेन्ट आडर्स हिन्द पब्लिसिंग हाउस इलाहाबाद)

इसी प्रकार वेग टिप्पणियां किये जो से G.O no-CR-259/II-A38/1956 dated 16-07-1957 द्वारा भी निषेधित किया गया है। नियमतः टिप्पणीकर्ता अधिकारी को यह ध्यान रखते हुये टिप्पणी की जानी चाहिए कि सम्बन्धित का कैरियर उसकी चरित्र पंजिका पर ही आधारित है इसलिये टिप्पणियां न्यायिक स्वतंत्र मस्तिष्क के की जानी चाहिए और वेग (Vague) नहीं होनी चाहिए। परन्तु प्रत्यावेदनकर्ता के प्रकरण में उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

19:— प्रत्यावेदन को प्रदान की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियों के संदर्भ में कभी उसे लिखित व मौखिक चेतावनी (Never cautioned) विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा नहीं दी गयी जबकि उपरोक्त जी0ओ0 के अनुसार प्रत्यावेदनकर्ता को उसके प्रति आयी शिकायतो के संबंध में एक दो चेतावनियां अवश्य दी जानी चाहिए थी। इस प्रकार वर्णित प्रकिया शासन के निर्देशों के आज्ञापक प्राविधानो का पालन करते हुये विद्वान जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता को प्रतिकूल प्रविष्टियां नहीं प्रदान की गयी है और प्रश्नगत वार्षिक प्रविष्टि 2023–24 नियमतः विलोपित किये जाने योग्य है।

अतः मान्यवर से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओ पर गम्भीरता से सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए एवं प्रत्यावेदनकर्ता के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023–24 की वार्षिक प्रविष्टि में उपर वर्णित की गयी प्रतिकूल टिप्पणियां उसके वार्षिक उसके वार्षिक प्रविष्टि से विलुप्त करके प्रत्यावेदक का उचित मूल्यांकन किया जाए।

प्रत्यावेदनकर्ता आजीवन आपका आभारी रहेगा।

प्रत्यावेदनकर्ता

20.6.2024

विष्णु शंकर पाण्डेय
अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड)/
ए0सी0जे0एम, मुजफ्फरनगर।

संलग्नक
1– प्रार्थनापत्र प्रत्यावेदक
दिनांक 03.06.2024 **संलग्नक–1**
2– पत्र संख्या CL No. 500/conf.
संलग्नक–2
3– औचक निरीक्षण टिप्पणी
दिनांकित 06.03.2024 **संलग्नक–3**

स्वप्रमाणित
20.6.24